न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 182/2024

अनवान : –

1. धनपतराम पुत्र फुलाराम जाति मेघवाल निवासी बिल्युबास रामपुरा तहसील सरदारशहर जिला चुरू।

– सायल

बनाम्

1. जसवन्त सिंह पुत्र लीलूराम जाति मेघवाल निवासी मेघाना तहसील नोहर।
2. भागीरथ पुत्र लीलूराम जाति मेघवाल निवासी मेघाना तहसील नोहर।
3. मुंशीराम पुत्र अन्नुराम जाति मेघवाल निवासी मेघाना तहसील नोहर।
4. रायसिंह पुत्र राजीराम जाति मेघवाल निवासी मेघाना तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
6. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **सायल**
2. श्री हवासिंह पूनिया अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय दिनांकः 15/10/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा मेघाना तहसील नोहर के खाता स0 436/427 की कुल 1.8180 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी भूमि का खाता व लगान मुश्तरका दर्ज है। प्रार्थी ने अपने हक हिस्सा की भूमि को समतल व उपजाउ बना रखा है लेकिन अप्रार्थीगण वाद भूमि संयुक्त खाता में दर्ज होने के कारण प्रार्थी के कब्जा काश्त की भूमि पर अजनबी केतागण को काबिज कराने पर आमादा है। अगर गैरसायल स0 1 अपने मकसद मे कामयाब हो जाता है तो अपूर्णीय क्षति प्रार्थी को होगी अतः अप्रार्थीगण को ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की उक्त वाद भूमि का जब तक खाता व विभाजन न हो तब तक वाद भूमि को रहन, बैय न करे एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा मेघाना तहसील नोहर के खाता स0 436/427 की कुल 1.8180 हैक्ट भूमि की अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि की विशेष हिस्से का बेचान न करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 16:52:36 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 4 की तरफ से अधिवक्ता श्री हवासिंह पूनिया ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 2 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

की वाद भूमि मुश्तरका है एवं मुश्तरका खाता की भूमि पर सायल अपने सहकाश्तकारों के विरूद्ध किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा कानूनन प्राप्त करने का अधिकारी नही है तथा वाद भूमि अगर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो हम हमारे काश्तकारी हकूको से वंचित हो जायेगे केसीसी आदि नही ले सकेंगे हमें अपूर्णीय क्षति होगी तथा भारी नुकसान होगा इसलिए प्रार्थना पत्र सायल खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया की उक्त वाद भूमि में से प्रार्थी ने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपनी मेहनत से समतल व उपजाऊ बना रखा है। प्रार्थी की अच्छी किस्म की कृषि भूमि होने के कारण गैरसायलान अजनबी क्रेता को सायल की कृषि भूमि दिखाकर रहन/बैय करने पर उतारू है तथा सायल के हक हिस्सा की भूमि पर काबिज होना चाहते है जिसके कारण सायल को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा इसलिए गैरसायलान के खिलाफ रहन, बैय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी स0 1 ने बहस में कथन किया की वाद खाता विभाजन का है। वाद भूमि अप्रार्थीगण द्वारा किसी विशेष हिस्से का बेचान नही किया जा रहा है केवल राजस्व रिकार्ड मे दर्ज अपने हक व हिस्सा का बेचना किया जा रहा है, कोई भी खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक व हिस्सा का रहन, बैय करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त बिन्दुओं के मध्यनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत खाता विभाजन मूल दावें के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा मेघाना तहसील नोहर के खाता स0 436/427 की कुल 1.8180 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। मुश्तरका खातेदार काश्तकार अपने हक हिस्सा व किस्म भूमि के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से कायम करवाने का अधिकारी है जो वाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर तय होना है अप्रार्थीगण द्वारा केवल राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक व हिस्सा की भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल किया जा रहा है। वाद भूमि संयुक्त खाता में दर्ज है अप्रार्थी सिर्फ अपने हक व हिस्सा की भूमि को रहन व बैय कर रहे है न कि किसी विशेष भू भाग/ख0न0 को रहन व बैय कर रहे है चूंकि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संयुक्त खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है, अप्रार्थी द्वारा अपने हिस्से को रहन व बैय करने से प्रार्थी को कोई अपूर्णीय क्षति नही होगी क्योंकि अप्रार्थी द्वारा केवल राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक व हिस्से को ही रहन, बैय किया जा रहा है न कि प्रार्थी के हिस्से को अतः अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है। उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में साबित होता [illegible] पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो [illegible] के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म [illegible] अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 16:52:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

न की प्रार्थी कों। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 18.07.2024 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 15/10/2024 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 16:52:36 IST
Reason: SelfAttested